रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082024-256101 CG-DL-E-06082024-256101

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3015] No. 3015]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

सं. 16/2024- केन्द्रीय कर

का.आ. 3161(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -

- (क) तारीख 1 अक्तूबर, 2024 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (ख) तारीख 1 अप्रैल, 2025 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

4921 GI/2024 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2024

No. 16/2024-Central Tax

S.O. 3161(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2024 (8 of 2024), the Central Government hereby appoints, —

- (a) the 1st day of October, 2024, as the date on which the provisions of sections 13 of the said Act shall come into force;
- (b) the 1st day of April, 2025, as the date on which the provisions of sections 11 and 12 of the said Act shall come into force.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director